# ऑनलाइन तबादला नीति पार्ट-2

drishtiias.com/hindi/printpdf/online-transfer-policy-part-ii

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में हरियाणा सरकार ने **आउटसोर्सिंग नीति पार्ट-2** के तहत लगे **अनुबंध कर्मचारियों पर भी ऑनलाइन तबादला नीति** लागू कर दी है।

## प्रमुख बिंदु

- हरियाणा सरकार की ओर से कर्मचारियों के तबादलों में **पारदर्शिता और एकरूपता** लाने के उद्देश्य से इस नीति के तहत लगे कर्मचारियों पर ऑनलाइन तबादला नीति लागू कर दी गई है।
- सरकार का फैसला विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्ड, निगमों में एक ही कैडर पदों पर अनुबंध के तहत नियुक्त 80 या इससे अधिक कर्मचारियों पर प्रभावी होगा।
- मुख्य सचिव की तरफ से सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड-निगमों के प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों, सभी मंडलायुक्तों और डीसी को आदेश जारी कर दिया है।
- ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के अंतर्गत राज्य में एक कैडर के 80 या अधिक संख्या वाले कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा, अर्थात्कुल मिलाकर लगभग 15 हज़ार कर्मचारी इसके दायरे में आएँगे।